न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 39/2017

1. नसीब कौर पत्नी रामसिंह जाति मजहबी निवासी 68/1 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. जीसुख पुत्र हुकमाराम जाति नायक निवासी 70 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार।
2. रूकमादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी 1 पीजीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
3. लछमण पुत्र मखनसिंह जाति मजहबी निवासी 1 पीजीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर । – मृतक
4. जालोरसिंह पुत्र मखनसिंह जाति मजहबी निवासी 1 पीजीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
5. हरपालकौर पत्नी प्रकटसिह जाति जटसिख निवासी 68/1 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 04.11.2016

उपस्थितिः–

श्री महेन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

श्री राजेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पो0 2, 5

श्री रणजीतसिंह कलसी अभिभाषक रेस्पो संख्या 4

23/4/18

निर्णय दिनांक :– 23.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 2 ने एक प्रार्थना रा0का0अ0 की धारा 251ए के तहत उपखंड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष पेश कर कथन किया कि प्रार्थीया के नाम से चक 70 जीबी के मु0नं0 38 प.न. 265/451 के कि.न. 22 व चक 1 पीजीएम के मु.प. 48 प.न. 267/454 के कि. नं. 14 से 25 की 3.036है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी है, प्रार्थी ने मु.न. 38 के कि.न. 22 में सिंचाई सुविधा के लिए टयूबवैल लगा रखा है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि चक 1 पीजीएम के मु0न0 48 के कि.न. 14 से 25 की 3.036 है में बेहतर सिंचाई सुविधा के लिऐ भूमिगत पाईप लाईन डालना चाहती है जो भूमिगत पाईप लाईन डालने के लिए सुगम व लघुतम मार्ग है। पाईप डालने के बाद भूमि को उसी स्थिति में कर देगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पाईप डालने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील आने पर उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण को विरूद्ध एकपक्षकीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 04.11.2016 को पाईप डालने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एकतरफा तौर पर पारित किया है, पाईप लाईन बिछाने से पाईप से पानी लिकेज होने से अपीलार्थीगण की भूमि में पानी बहने से अपीलार्थी की फसल को नुकसान होगा। मौका पर अपीलार्थीगण की फसल काश्त की हुई है पाईप लाईन बिछाने से फसल नष्ट हो जायेगी। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने

23/4/18

पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश की दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश सशर्त आदेश है जिसकी पालना रेस्पो. द्वारा की जानी है शर्तों का उल्लंघन करने पर जारी की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। अपीलांट की भूमि को कोई नुकसान नहीं होगा न ही रेस्पो. किसी प्रकार का नुकसान पहुंचायेगे। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 04.11.2016 के विरूद्ध दिनांक 12.01.2017 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश करके नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधी.न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के विधिक प्रावधानों एवं इसके Aims and object के अनुकूल तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया

23/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर